



दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.  
(भारत सरकार द्वारा पूर्ण स्वामित्व)

कारपोरेट कार्यालय : प्लेट 'ए' ऑफिस ब्लॉक - 4, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स  
किदवई नगर ईस्ट, नई दिल्ली 110023

सिन: यू66010डीएल1947जीओआई007158

संदर्भ सं. OICL/Rect/DRE-2023-24/AO-1

वेबसाइट: [www.orientclinsurance.org.in](http://www.orientclinsurance.org.in)

दिनांक: 08 मार्च 2024

ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 100 प्रशासनिक अधिकारियों (स्केल-1) की भर्ती

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सार्वजनिक क्षेत्र की एक अग्रणी तथा पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व वाली साधारण बीमा कंपनी ओपन मार्केट से स्केल-1 के संवर्ग में 100 (सौ) अधिकारियों की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित करती है।

कृपया महत्वपूर्ण तिथियों को नोट करें (टैटेटिव):

ऑन-लाईन पंजीकरण प्रारंभ / फीस का भुगतान	21.03.2024
ऑन-लाईन पंजीकरण / फीस के भुगतान की अंतिम तिथि	12.04.2024
ऑन-लाईन परीक्षा की तिथियां	मई / जून 2024 (टैटेटिव)

अभ्यर्थी केवल ऑन-लाईन तरीके से ही आवेदन करेंगे। आवेदन का अन्य कोई तरीका स्वीकार्य नहीं होगा।

रिक्तियां:

विषय	पदों की सं.	अनु.जाति	अनु.जन जाति	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर	पीडब्ल्यूबीडी (एचआई/वीआई/ओसी/आईडी/एमयूएल)
लेखा	20	13*	07*	26*	09*	45	सरकारी नियमों के अनुसार
बीमांकक	05						
इंजीनियर	15						
इंजीनियर (आई.टी.)	20						
चिकित्सा अधिकारी	20						
विधि	20						
कुल	100						

\*बैकलॉग रिक्तियों सहित (अनु.जाति-01, अनु.जनजाति-01, ओबीसी-03, पीडब्ल्यूबीडी-01 सहित)

1. सेवा शर्तें

सेवा शर्तें कंपनी में समय-समय पर विद्यमान नियमों के अनुसार लागू होगी। नियुक्ति हेतु चुने गए अभ्यर्थियों को भारत में किसी भी स्थान पर, जैसा कंपनी का निर्णय हो, तैनात या स्थानांतरण किया जा सकता है।



## 2. परिवीक्षा

कंपनी के नियमित वेतन पत्रक में अधिकारी के संवर्ग में नियुक्ति किसी भी अभ्यर्थी को अपना कार्यभार संभालने की तिथि से एक वर्ष के लिए परिवीक्षा की अवधि पर जाना होगा। परिवीक्षा अवधि को छः माह हेतु दो बार बढ़ा कर 1 वर्ष और तक विस्तारित किया जा सकता है।

परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिकारियों को इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित गैर जीवन 'लाईसेंसिएट परीक्षा' पास करनी होगी। कथित परीक्षा पास करने के बाद ही अधिकारी कंपनी में अपनी सेवाओं के स्थायीकरण का पात्र होगा। विस्तारित परिवीक्षा अवधि के दौरान कथित परीक्षा को पास न करने पर निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर अधिकारी की सेवा को समाप्त किया जा सकता है।

परिवीक्षा या विस्तारित परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय अयोग्य पाए जाने पर अभ्यर्थी की सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है।

## 3. गारंटी बॉण्ड

परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में कार्यभार संभालने से पूर्व चुने गए अभ्यर्थियों को अपने परिवीक्षा अवधि सहित न्यूनतम 4 वर्षों तक कंपनी में सेवारत रहने का वचनपत्र देना होगा। बॉण्ड की अवधि समाप्ति होने से पूर्व कंपनी से त्यागपत्र देने की स्थिति में वे परिवीक्षा वर्ष के दौरान उन्हें दी गई 01 वर्ष के सकल वेतन के बराबर भुगतान करना होगा जिसे सेवा की अवधि के आधार पर आनुपातिक रूप से कम किया जा सकता है। इसके अलावा उसे 01 वर्ष की सकल वेतन के बराबर राशि का अच्छी वित्तीय स्थिति के दो जमानतियों (जिनसे खून का रिश्ता न हो) द्वारा निष्पादित स्टैप लगा बॉण्ड भरना होगा।

परिवीक्षा अवधि के दौरान कंपनी से त्यागपत्र देने वाले अभ्यर्थियों तथा कंपनी द्वारा सेवाएं समाप्त किए जाने वाले अभ्यर्थियों को अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त वेतन के अलावा प्रशिक्षण लागत राशि 40,000/- रूपए की आंशिक राशि का भुगतान करना होगा। वर्तमान नियोक्ता के साथ मूल पद को वापस लेने के लिए किसी भी बॉण्ड/लियन को लेने के लिए कंपनी बाध्य नहीं होगी तथा कोई भी अवकाश वेतन या पेंशन अंशदान भी नहीं दिया जाएगा।

## 4. परिलब्धियां एवं सुविधाएं:

50925-2500(14)-85925-2710(4)-96765 रूपए के स्केल में 50925/- रूपए का मूल वेतन तथा अन्य लागू देय भत्ते / महानगरीय केन्द्रों में कुल परिलब्धियां लगभग ₹.85000/- प्रतिमाह होगी। पीएफआरडीए द्वारा शासित नई पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन, ग्रेच्युटी, एलटीएस, चिकित्सकीय लाभ, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जैसी अन्य सुविधाएं नियमों के अनुसार होंगी। अधिकारी नियमानुसार कंपनी की/ पट्टे पर आवास के भी हकदार होंगे।

## 5. शैक्षणिक योग्यताएं (31.12.2023 को)

अभ्यर्थी के पास न्यूनतम योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष की योग्यता हो जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है -

अभ्यर्थियों के पास दिनांक 31.12.2023 को परीक्षा पास करने का प्रमाण के रूप में प्रमाण पत्र होना चाहिए।

### नोट:

1. शैक्षणिक योग्यता भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/ सरकारी विनियामक नियमों द्वारा स्वीकृत बोर्ड / संस्थान / विश्वविद्यालय से प्राप्त हो तथा परिणाम 31.12.2023 तक या पूर्व घोषित किए जा चुके हों।
2. बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा 31.12.2023 को या इससे पूर्व घोषित परिणाम से संबद्ध उचित दस्तावेज को साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाए।
3. अभ्यर्थी के पास 31.12.2023 को मान्य मार्कशीट / आवश्यक योग्यता का डिग्री प्रमाण पत्र हो।
4. विश्वविद्यालय की डिग्री/ अंतिम मार्कशीट में प्रतिशत अंकों का उल्लेख होना चाहिए। प्रतिशत के उतार-चढ़ाव को नहीं माना जाएगा जैसे कि 59.99% को 60% से कम माना जाएगा।
5. जहां सीजीपीए/ओजीसीए दिए गए हैं, वहां अभ्यर्थी को उचित प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसमें ग्रेड को प्रतिशत में बदलने संबंधी नियम बताए गए हों तथा नियमानुसार अभ्यर्थी द्वारा अर्जित अंकों का प्रतिशत बताया गया हो।

क्र.सं.	विषय	न्यूनतम योग्यता (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री )
1	लेखा	अनु.जाति/अनु.जनजाति हेतु किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% के साथ तथा अन्य के लिए 60% के साथ बी.कॉम। या



		<p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीए (फाईनेंस) या चार्टर्ड अकाउंटेंट (आईसीएआई) या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया) जिसे पहले कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट (आईसीडब्ल्यूएआई) के रूप में जाना जाता था।</p>
2	बीमांकिक (एकच्युरियल)	<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% के साथ (अनु.जाति/अनु.जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 55%) सांख्यिकीय/ गणित / एकच्युरियल साइंस में स्नातक डिग्री</p> <p>या</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकीय/गणित/ एकच्युरियल साइंस या अन्य किसी क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन में स्नातकोत्तर डिग्री</p> <p>या</p> <p>इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एकच्युरिस ऑफ इंडिया/ इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एकच्युरिस, यू.के. से न्यूनतम 4 पेपरों के क्रेडिट / किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण करने की डिग्री। उत्तीर्ण / क्रेडिट के न्यूनतम अनिवार्य 4 पेपरों में से अभ्यर्थी को निम्न दो पेपर अनिवार्य रूप से पास होने चाहिए।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• सीएस 2 (रिस्क मॉडलिंग एंड सर्वाइवल एनालिसिस)</li> <li>• सीएम 2 (वित्तीय इंजीनियरिंग और हानि रिजर्विंग)</li> </ul>
3	इंजीनियर्स (आई.टी.)	<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% सहित (अनु.जाति/अनु.जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 55%) सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान/ इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार (ईसीई) क्षेत्र में बी.ई./ बी.टैक।</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान/ इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार (ईसीई) क्षेत्र में एम.ई./ एम.टैक।</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% के साथ (अनु.जाति/अनु.जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 50%) एम.सी.ए.</p>
4	इंजीनियर्स	<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% सहित (अनु.जाति/अनु.जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 55%) ऑटोमोबाइल / मकेनिकल / इलैट्रिकल / सिविल / केमिकल/ पावर/ इंडस्ट्रियल/ इस्टमेनटेशन इंजीनियरिंग में बी.ई./ बी.टैक।</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल / मकेनिकल / इलैट्रिकल / सिविल / केमिकल/ पावर/ इंडस्ट्रियल/ इस्टमेनटेशन इंजीनियरिंग में एम.ई./एम.टैक।</p>
5	मेडिकल	<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस./ बी.डी.एस.</p> <p>या</p> <p>इसके समकक्ष विदेशी डिग्री जिन्हें नेशनल मेडीकल कमीशन (पहले मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडीसिन (जैसा भी लागू हो) से निर्धारित बेंचमार्क के साथ मान्यता प्राप्त हो।</p> <p>या</p> <p>इसके अलावा, अभ्यर्थी के पास अपनी साक्षात्कार की कथित तिथि पर नेशनल मेडीकल कमीशन (पहले मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया) या डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया या कोई राजकीय मेडीकल या डेंटल काउंसिल (ऐलापेथी या डेंटल स्ट्रीम पर क्रमशः जैसे भी लागू हो) तथा नेशनल / स्टेट कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडीसिन से वैद पंजीकरण होना चाहिए।</p>
6	विधि	<p>अनु.जाति/अनु.जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% के साथ तथा अन्य के लिए 60% के साथ विधि में स्नातक</p>



नोट:

- 1) उपरोक्त वर्णित योग्यताएं यूजीसी द्वारा विधिवत् रूप से स्वीकृत मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या एआईसीटीई से विधिवत् रूप से मान्यता प्राप्त भारतीय इंस्टीट्यूट से प्राप्त होनी चाहिए।
- 2) योग्यता के बाद विशेष क्षेत्रों में अनुभव वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। इस संबंध में कंपनी का निर्णय अंतिम होगा।
- 3) अभ्यर्थी के पास 31.12.2023 को अपनी आवश्यक योग्यता का डिग्री प्रमाण पत्र/मार्कशीट अवश्य होनी चाहिए।

#### 6. 31.12.2023 को आयु

दिनांक 31.12.2023 न्यूनतम आयु: 21 वर्ष अधिकतम आयु: 30 वर्ष  
उच्चतर आयु सीमा में छूट निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	श्रेणी	आयु में छूट
1	अनु.जाति/अनु.जनजाति	5 वर्ष
2	अन्य पिछड़े वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)	3 वर्ष
3	दिव्यांजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत वर्णित बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए	10 वर्ष
4	भूतपूर्व सैनिक, आयुक्त अधिकारी सहित आपातकालीन आयुक्त अधिकारी (ईसीओ)/ अल्पसेवा आयुक्त अधिकारी (एसएससीओ) जिन्होंने 31.12.2023 तक 5 वर्ष फौज में सेवा की है तथा जिन्हें; (क) दुराचार या अक्षमता के कारण पदच्युत के अलावा 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर (इनमें वे भी शामिल हैं जिनका मार्च 31.12.2023 से 1 वर्ष के भीतर पूरा हो जाना है); या (ख) फौजी सेवा के कारण शारीरिक विकलांगता ; या (ग) अशक्ता के कारण मुक्त कर दिया हो। ईसीओ/एसएससीओ जिन्होंने 31.12.2023 को फौजी सेवा के आरंभिक पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं तथा जिनके काम की अवधि पांच वर्ष से अधिक हो गई है तथा इस विषय में रक्षा मंत्रालय ने यह प्रमाण पत्र जारी किया है कि वे गैर-फौजी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा चुने जाने पर उन्हें नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के नोटिस पर मुक्त कर दिया जाएगा।	5 वर्ष
5	विदेश में किसी से शत्रुता के दौरान या किसी संकटपूर्ण क्षेत्र में या उसके परिणामस्वरूप विकलांग हुए रक्षा सेवा कार्मिक	3 वर्ष
6	विधवा, तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पतियों से विधिक रूप से अलग हुई महिलाएं जिन्होंने दुबारा विवाह नहीं किया।	9 वर्ष
7	सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों (सा.बी.नि. री एवं एगीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया सहित) के विद्यमान स्थायी कर्मचारी।	8 वर्ष

नोट:

- i. यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त श्रेणियों में एक से अधिक में छूट का पात्र है तो आयु में छूट संचयी आधार पर उपलब्ध होगी लेकिन अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक न होगी।
  - ii. आयु में छूट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार(रों) को आवश्यक प्रमाणपत्रों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी तथा मूल प्रतियों को साक्षात्कार के समय और/या भर्ती प्रक्रिया के किसी भी अनुवर्ती स्थिति में जांच हेतु प्रस्तुत करनी होंगी।
1. यदि सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी (सा.बी.नि.री तथा एगीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के विद्यमान स्थायी कर्मचारी सहित ) के रूप में कोई भी विकलांग व्यक्ति आयु में छूट प्राप्त करने का पात्र है तो उसे 'विकलांग व्यक्ति' या सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी (सा.बी.नि. री तथा एगीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के विद्यमान स्थायी कर्मचारी सहित) में से कोई एक छूट जो उसे ज्यादा लाभदायक होगी, ही प्रदान की जाएगी।

अधिकारियों के संवर्ग में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

#### 7. चयन प्रक्रिया

चरण-I: प्राथमिक परीक्षा

100 अंकों वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की प्राथमिक परीक्षा ऑन-लाइन आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 3 खंडों में प्रत्येक खंड के लिए अलग अवधि



वाली होगी:

क्र.सं.	परीक्षा का नाम (क्रमवार में नहीं)	परीक्षा का प्रकार	अधिकतम अंक	प्रत्येक परीक्षा/ खंड हेतु (अलग- अलग अवधि)	रूपांतरण
1	अंग्रेजी भाषा	वस्तुनिष्ठ	30	20 मिनट	अंग्रेजी
2	तर्क क्षमता	वस्तुनिष्ठ	35	20 मिनट	अंग्रेजी / हिंदी
3	मात्रात्मक योग्यता	वस्तुनिष्ठ	35	20 मिनट	अंग्रेजी / हिंदी
	कुल		100		

अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा में कंपनी द्वारा निर्धारित पास अंकों को अवश्य प्राप्त करना होगा। प्रत्येक श्रेणी में कंपनी द्वारा निर्णीत (रिक्तियों की संख्या का 20 गुणा, उपलब्धता के आधार पर) पर्याप्त अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु चुना जाएगा।

### चरण - II: मुख्य परीक्षा

मुख्य परीक्षा में 200 अंकों वाली वस्तुनिष्ठ तथा 30 अंकों की वर्णनात्मक परीक्षा शामिल होगी। वस्तुनिष्ठ एवं वर्णनात्मक दोनों परीक्षाएं ऑन-लाईन होगी। अभ्यर्थियों को वर्णनात्मक परीक्षा कंप्यूटर पर टाईप करके देनी होगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा को पूरा होने के तुरंत बाद वर्णनात्मक परीक्षा ली जाएगी।

(i) वस्तुनिष्ठ परीक्षा: 2.5 घंटे की अवधि की वस्तुनिष्ठ परीक्षा इस प्रकार होगी। हर सेक्शन के लिए अलग-अलग टाइमिंग होगी।

क्र.सं.	परीक्षा का नाम (क्रमवार में नहीं)	परीक्षा का प्रकार	अधिकतम अंक	रूपांतरण	प्रत्येक परीक्षा/ खंड हेतु (अलग-अलग अवधि)
1.	तर्क क्षमता की परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	40	अंग्रेजी / हिंदी	30 मिनट
2.	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	40	अंग्रेजी	30 मिनट
3.	सामान्य ज्ञान की परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	40	अंग्रेजी / हिंदी	25 मिनट
4.	मात्रात्मक योग्यता की परीक्षा	वस्तुनिष्ठ	40	अंग्रेजी / हिंदी	30 मिनट
5.	विशेषज्ञों हेतु, संबद्ध क्षेत्र में तकनीकी एवं व्यवसायिक ज्ञान की जांच हेतु अलग से अतिरिक्त परीक्षा ली जाएगी	वस्तुनिष्ठ	40	अंग्रेजी / हिंदी	35 मिनट
	कुल (सकल)		200		

(ii) वर्णनात्मक परीक्षा: अंग्रेजी भाषा (पत्र लेखन-10 अंक तथा निबंध लेखन-20 अंक) की परीक्षा 30 अंकों वाली 30 मिनट की वर्णनात्मक होगी। वर्णनात्मक परीक्षा अंग्रेजी में होगी तथा ऑन-लाईन ही आयोजित की जाएगी।

प्रत्येक अभ्यर्थी को वर्णनात्मक परीक्षा मूल्यांकन/ साक्षात्कार में शार्टलिस्ट होने हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रत्येक खंड में अलग-अलग से न्यूनतम अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी वस्तुनिष्ठ परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तथा अधिक अंक प्राप्त करते हैं उनकी वर्णनात्मक उत्तर-पुस्तिका का ही मूल्यांकन किया जाएगा। उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर ही वर्णनात्मक परीक्षा मूल्यांकन हेतु कटऑफ का निर्णय लिया जाएगा।

प्रत्येक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शार्टलिस्ट होने हेतु वर्णनात्मक परीक्षा तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षा (मुख्य परीक्षा) में (रिक्तियों की संख्या के अनुसार कंपनी द्वारा निर्णीत) न्यूनतम कुल अंक प्राप्त करने होंगे। वर्णनात्मक परीक्षा में पास करने हेतु अंक इस प्रकार है 15/30 (अनु.जाति/ अनु.जनजाति तथा पीडब्ल्यूबीडी हेतु 13.5/30)

अभ्यर्थी को वर्णनात्मक परीक्षा को पास करना जरूरी है लेकिन वर्णनात्मक परीक्षा के अंकों की गणना अंतिम चयन हेतु साक्षात्कार में शार्टलिस्ट करने के लिए नहीं की जाएगी।

गलत उत्तरों के लिए दंड (प्राथमिक एवं मुख्य - दोनों परीक्षाओं पर लागू)

वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में गलत उत्तरों के लिए दंड दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा जिस प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, सही अंक देने के लिए दंड के रूप में उस प्रश्न के जितने अंक हैं उसमें से एक चौथाई अंक काट लिया जाएगा। यदि प्रश्न खाली छोड़ दिया गया है तथा उसका उत्तर नहीं दिया गया तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा। परीक्षा के दांचे में फेर-बदल का पूरा अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है जिसके बारे में वेबसाइट पर सूचित कर दिया जाएगा।



### चरण - III: साक्षात्कार

जिन अभ्यर्थियों को चरण-II के अंत में शार्टलिस्ट किया गया है उन्हें संबद्ध संवर्ग/श्रेणी की रिक्तियों की संख्या के 3 गुणा तक, कंपनी द्वारा आयोजित साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। साक्षात्कार चुने गए केन्द्रों में ही आयोजित किया जाएगा। ऑन-लाईन परीक्षा और साक्षात्कार का अनुपात क्रमशः 80:20 रहेगा। केन्द्र, स्थान का पता, साक्षात्कार की तिथि एवं समय की सूचना शार्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को कॉल लेटर में दे दी जाएगी। अभ्यर्थी अपना साक्षात्कार कॉल लेटर कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। कृपया नोट करें कि साक्षात्कार की तिथि, केन्द्र में परिवर्तन के संबंध में किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन कंपनी के पास सुरक्षित अधिकार है कि साक्षात्कार की तिथि/स्थान/समय/केन्द्र में परिवर्तन कर सकती है या किन्हीं भी अपरिहार्य स्थितियों में किसी विशेष तिथि/सत्र/केन्द्र/अभ्यर्थियों के समूह के संबंध में अनुपूरक प्रक्रिया को रोकने का विवेकाधिकार प्राप्त है।

#### अंतिम चयन

मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ परीक्षा) तथा साक्षात्कार के समेकित अंकों के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा। अंतिम मेरिट लिस्ट अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए समेकित अंकों के घटते क्रम में तैयार की जाएगी। जो अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में रिक्तियों की संख्या के भीतर आएगा उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। प्रबंधन के निर्णयानुसार एक से अधिक बैच में अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा सकती है। चुने गए अभ्यर्थियों की वरिष्ठता मेरिट/चुनी गई सूची के अनुसार होगी। रिक्तियों की संख्या के अधिकतम 50% अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जा सकती है तथा अंतिम मेरिट लिस्ट में चुने गए अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने की स्थिति में प्रयुक्त भी की जा सकती है।

व्ययमान प्रक्रिया के अनुसार, दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाने पर अंतिम मेरिट का निर्णय निम्नानुसार किया जाएगा: ए) साक्षात्कार में प्राप्त अंक (साक्षात्कार में ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को कम अंक प्राप्त करने से पूर्व/आगे रखा जाएगा यदि साक्षात्कार के अंक समान हैं तो। बी) जन्म की तिथि (आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को कम आयु वाले अभ्यर्थी से पूर्व/आगे रखा जाएगा।

चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती तभी की जाएगी यदि वे कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार चिकित्सीय रूप से फिट पाए जाते हैं। ऐसी तैनाती कंपनी के सेवा एवं आचरण संबंधी नियमों के भी तहत होगी।

अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करने से पूर्व वे सुनिश्चित कर लें कि वे आयु व योग्यता की शर्तों को पूरा करते हैं (योग्यता का अंतिम परिणाम 31.12.2023 तक या पूर्व प्रकाशित हो जाना चाहिए) यदि कोई अभ्यर्थी पात्र नहीं पाया जाता तो उसकी उम्मीदवारी को भर्ती की किसी भी स्थिति में रद्द कर दिया जाएगा। ऑन-लाईन परीक्षा व साक्षात्कार में प्रस्तुत होने का यह स्वतः अर्थ नहीं है कि कथित पद हेतु चयन कर लिया गया है।

#### 8. आवेदन फीस (गैर-प्रतिदेय): दिनांक 21.03.2024 से 12.04.2024 तक ऑन-लाईन देय (दोनों तिथियां शामिल हैं)

अनु.जा./ अनु.ज.जाति / पीडब्ल्यूबीडी / ओ आई सी एल का कंफर्मड कर्मचारी	रु. 250/- (केवल सूचना प्रभार)+ लागू जीएसटी
अनु.जा./ अनु.ज.जाति / पीडब्ल्यूबीडी / ओ आई सी एल का कंफर्मड कर्मचारी के अलावा सभी अभ्यर्थी	रु. 1000/- (सूचना प्रभार सहित आवेदन फीस)+ लागू जीएसटी

\*परिवहन खर्च, यदि लागू है तो अभ्यर्थी द्वारा वहन किए जाएंगे।

फीस/ सूचना खर्चों का एक बार भुगतान करने के बाद, उनकी किसी भी खाते में वापसी नहीं की जाएगी और न ही किन्हीं अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

#### 9. परीक्षा केन्द्र:

प्राथमिक परीक्षा (चरण-I) के केन्द्र

क्र.सं.	राज्य	केन्द्र	क्र.सं.	राज्य	केन्द्र
1	आंध्रप्रदेश	विजयवाड़ा	17	महाराष्ट्र	मुम्बई/नवी मुम्बई/थाणे/एमएमआर
		विशाखापट्टनम			नागपुर
		ऑंगोल			पुणे
2	असम	गुवाहाटी			छत्रपति सम्भाजी नगर
		डिब्रूगढ़			नासिक



		सिलचर
		जोरहाट
3	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलगूल
4	बिहार	पटना
		गया
		भागलपुर
5	चंडीगढ़	चंडीगढ़ /मोहाली
6	छत्तीसगढ़	रायपुर
		बिलासपुर
7	दिल्ली - एनसीआर	दिल्ली - एनसीआर
8	गोवा	पणजी / मापुसा
9	गुजरात	अहमदाबाद/ गांधीनगर
		वडोदरा
		सूरत
		राजकोट
10	हरियाणा	हिसार
		फरीदाबाद
		गुडगांव
11	हिमाचल प्रदेश	शिमला
		धर्मशाला
		मंडी
		पालमपुर
12	जम्मू एंड कश्मीर	जम्मू
13	झारखंड	रांची
		जमशेदपुर
14	कर्नाटक	बैंगलूरु
		हुबली/धारवाड़
		मंगलौर
		मैसूर
		गुलबर्गा
15	केरल	एरनाकुलम/ कोच्चि
		तिरुवनंतपुरम
16	मध्य प्रदेश	भोपाल
		इंदौर
		ग्वालियर
		जबलपुर

18	मणिपुर	इंफाल
19	मेघालय	शिलांग
20	मिज़ोरम	एजवाल
21	नागालैंड	कोहिमा
22	उड़ीसा	भुवनेश्वर
		कटक
		राउरकेला
		बहरामपुर
23	पाण्डीचेरी	पाण्डीचेरी
24	पंजाब	अमृतसर
		लुधियाना
		भटिण्डा
25	राजस्थान	जयपुर
		जोधपुर
		बीकानेर
26	सिक्किम	गंगटोक
		बारडन्ग
27	तमिलनाडू	चेन्नई
		कोयंबटूर
		मदुरै
28	तेलंगाना	हैदराबाद / रंगारेड्डी
		वारंगल
29	त्रिपुरा	अगरतला
30	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
		इलाहाबाद
		कानुपुर
		नोएडा/ग्रेटर नोएडा
31	उत्तराखंड	देहरादून
		हरिद्वार / रुड़की
		हल्दवानी / नैनीताल
32	वेस्ट बंगाल	कोलकाता / ग्रेटर कोलकाता
		सिलिगुडी
		आसनसोल

मुख्य परीक्षा (चरण-II) के केंद्र

राज्य	केंद्र
आंध्रप्रदेश/तेलंगाना	हैदराबाद
असम	गुवाहाटी
बिहार	पटना
चंडीगढ़	चंडीगढ़ /मोहाली
छत्तीसगढ़	रायपुर
दिल्ली - एनसीआर	दिल्ली - एनसीआर



गुजरात	अहमदाबाद/ गांधीनगर
हिमाचल प्रदेश	शिमला
जम्मू एंड कश्मीर	जम्मू
झारखंड	रांची
कर्नाटक	बैंगलूरु
केरल	एरनाकुलम/ कोच्चि
महाराष्ट्र	मुम्बई/नवी मुम्बई/थाणे/ एमएमआर
मध्य प्रदेश	भोपाल
ओडिसा	भवनेश्वर
राजस्थान	जयपुर
तमिल नाडु	चैन्नई
उत्तर प्रदेश	लखनऊ
उत्तराखंड	देहरादून
वेस्ट बंगाल	कोलकत्ता /ग्रेटर कोलकत्ता

10 (ख) पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण (ऑनलाईन): अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी (नॉन क्रीमी) अभ्यर्थी जो पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण की सुविधा लेना चाहते हैं वे ऑनलाईन आवेदन करते समय इसके बारे में बताएं। अभ्यर्थियों द्वारा अपेक्षित है कि विवरण हेतु हमारी वेबसाइट [www.orientalinsurance.org.in](http://www.orientalinsurance.org.in) के भर्ती खंड पर नियमित रूप से देखते रहें। जिन अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण को चुना है उन्हें पंजीकृत ईमेल/ मोबाईल द्वारा भी सूचित किया जाएगा। कृपया नोट करें कि केवल परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण में उपस्थित हो जाने से कंपनी में नियोजन पेश किए जाने का अधिकार उत्पन्न नहीं होता।

#### 11. कैसे आवेदन करें:

निम्न हेतु विस्तृत दिशानिर्देश/प्रक्रिया:

1. आवेदन पत्र रजिस्ट्रेशन
2. फीस का भुगतान
3. फोटोग्राफ व हस्ताक्षर स्कैन व अपलोड

रजिस्ट्रेशन से पहले महत्वपूर्ण मर्दे नोट की जाएं, ऑन-लाईन आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों को चाहिए कि-

- i. अपने फोटोग्राफ व हस्ताक्षर को स्कैन करके सुनिश्चित करें कि फोटोग्राफ व स्केन हस्ताक्षर दोनों अप-लोड हेतु दिशानिर्देशों के अंतर्गत दिए गए आवश्यक विनिर्देशों का पालन किया गया है।
- ii. वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी व मोबाईल नंबर पास में हैं, जिसे इस भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सक्रिय रखा जाएगा। सभी कार्यालयी पत्र व्यवहार अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। यदि उम्मीदवार की कोई भी वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी नहीं है तो उसे अपनी नई ईमेल आईडी बनानी व मोबाईल नंबर लेना होगा तथा उस ईमेल खाते व मोबाईल नंबर को बनाए रखना होगा।

#### ए. आवेदन प्रक्रिया

अभ्यर्थी को कंपनी की वेबसाइट [www.orientalinsurance.org.in](http://www.orientalinsurance.org.in) की भर्ती खंड में जाना होगा तथा 'केरियर' खंड के अंतर्गत 'ऑन-लाईन आवेदन' विकल्प पर क्लिक करना होगा जिससे नई स्क्रीन खुलेगी।

1. आवेदन पत्र रजिस्टर्ड करने के लिए 'नए रजिस्ट्रेशन हेतु यहां पर क्लिक करें' बटन का चयन करें तथा नाम संपर्क ब्यौरे तथा ईमेल आईडी प्रविष्ट करें। सिस्टम द्वारा अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर तथा पासवर्ड बनाया जाएगा। अभ्यर्थी अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड को नोट करेंगा। अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड दर्शाने वाले ईमेल व एसएमएस भी भेजा जाएगा।
2. यदि उम्मीदवार एक बार में आवेदन फार्म को पूरा नहीं कर पाता है, तो वह 'सेव एंड नेक्स्ट' का चयन करके पहले से प्रविष्ट करे गए आंकड़ों को सुरक्षित कर सकता है। ऑन-लाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन फार्म में ब्यौरों को सत्यापित करने से पहले 'सेव एंड नेक्स्ट' सुविधा का प्रयोग करें तथा यदि अपेक्षित है तो संशोधित करें। दृष्टि से अयोग्य अभ्यर्थियों को सावधानी पूर्वक आवेदन फार्म भरना चाहिए तथा सत्यापित करें/ ब्यौरों को सत्यापित करवाकर सुनिश्चित करें कि वे अंतिम प्रस्तुतिकरण से पूर्व वह सही है।
3. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सावधानी पूर्वक भरें तथा ऑन-लाईन आवेदन पत्र में भरे गए ब्यौरों को सत्यापित करें, क्योंकि 'फाईनल सबमिट बटन' पर क्लिक करने के पश्चात कोई भी परिवर्तन संभव/कार्रवाई नहीं की जाएगी
4. अभ्यर्थी या उसके पिता/पति इत्यादि का नाम आवेदन पत्र में सही से भरा जाना चाहिए जैसा कि यह प्रमाण पत्रों /मार्कशीट/पहचान पत्र में दिखाया गया है। किसी भी बदलाव/परिवर्तन पाए जाने पर अभ्यर्थी अयोग्य माना जाएगा।
5. 'अपने ब्यौरों को सत्यापित करें' तथा 'सेव एंड नेक्स्ट' बटन क्लिक करके अपने आवेदन पत्र को सुरक्षित करें तथा अपने ब्यौरों को सत्यापित करें।



6. उम्मीवार स्कैनिंग व फोटोग्राफ को अपलोड करने व मद 'ग' के अंतर्गत दिए गए हस्ताक्षर हेतु दिशानिर्देशों में दी गई विशिष्टताओं के अनुसार फोटो व हस्ताक्षर को अपलोड करेगा।
7. अभ्यर्थी आवेदन फार्म के अन्य ब्यौरों को भरने की कार्यवाही करेगा।
8. 'फाइनल सबमिट' से पहले संपूर्ण आवेदन फार्म की समीक्षा व सत्यापन के लिए समीक्षा बटन पर क्लिक करें।
9. यदि आवश्यक है तो ब्यौरों को संशोधित करें तथा सत्यापन के पश्चात ही 'फाइनल सबमिट बटन' पर क्लिक करें तथा सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा अपलोड की गई फोटोग्राफ, हस्ताक्षर व अन्य ब्यौरें सही हैं।
10. 'पेमेंट' बटन पर क्लिक करें व भुगतान हेतु कार्यवाही करें।
11. 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

**बी. फीस का भुगतान (केवल ऑन-लाइन तरीके से)**

1. आवेदन फार्म को भुगतान गेटवे से जोड़ा जाता है तथा भुगतान प्रक्रिया को निम्नलिखित दिशानिर्देशों द्वारा पूरा किया जाता है।
2. भुगतान डेबिट कार्ड (रूपे/वीजा/मास्टर कार्ड /मेस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैशकार्ड/ मोबाईल वॉलेट का प्रयोग करके किया जा सकता है।
3. ऑन-लाइन आवेदन फार्म में अपने भुगतान की जानकारी देने के पश्चात्, कृपया सर्वर से सूचना की प्रतीक्षा करें। डबल चार्ज से बचने के लिए बैंक या रिफ्रेश बटन को न दबाएं।
4. लेन-देन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए, एक ई-रसीद निकाली जाएगी।
5. 'ई-रसीद' को न प्राप्त होना बताता है कि भुगतान असफल रहा। भुगतान न होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपने अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड का प्रयोग करके तथा भुगतान प्रक्रिया का द्वारा प्रयोग करके द्वारा से लॉग-इन करें।
6. अभ्यर्थियों को चाहिए कि ई-रसीद व ऑन-लाइन आवेदन फार्म का प्रिंट लें। कृपया नोट करें कि यदि इसे प्राप्त नहीं किया जाता, ऑन-लाइन प्रक्रिया सफल नहीं होगी।
7. क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताओं के लिए, सभी खर्च भारतीय रुपयों में दर्ज किए जाते हैं। यदि आप गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं तो आपका बैंक प्रचलित विनियमित दरों पर आपकी स्थानीय करेंसी को परिवर्तित करेगा।
8. आपके आंकड़ों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृपया अपनी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् एक बार ब्राउज़र विन्डो को बंद करें।
9. फीस भुगतान के पश्चात फीस ब्यौरें सहित आवेदन फार्म को प्रिंट करने की सुविधा है।

**सी. फोटो व हस्ताक्षर को स्कैन व अपलोड करने के दिशानिर्देश-**

- क) यदि फोटोग्राफ में चेहरा व हस्ताक्षर अस्पष्ट होते हैं तो आवेदन पत्र को रद्द किया जाएगा।  
 ख) अभ्यर्थी आवेदन पत्र में सुधार कर सकता है तथा ऐसी स्थिति में दुबारा से फोटोग्राफ/हस्ताक्षर अपलोड कर सकता है।

**फोटोग्राफ इमेज**

- फोटोग्राफ हाल ही की पासपोर्ट साईज रंगीन होनी चाहिए।
- पिक्चर रंगीन होनी चाहिए, जिसकी पृष्ठभूमि हल्के रंग की विशेषतः सफेद रंग की हो।
- कैमरे के सामने सीधा देखते हुए आरामदायक स्थिति में हो।
- यदि पिक्चर धूप में ली जाती है तो सूर्य आपके पीछे होना चाहिए या स्वयं छाया में खड़े हों, ताकि आपकी आंखें जल्दी-जल्दी न झपकें तथा बड़ी-सी परछाईं न बने।
- यदि आपको फ्लैश का प्रयोग करना है तो सुनिश्चित करें कि 'लाल आंखें' न आएँ।
- यदि आप चश्मा लगाते हैं तो देखें कि कोई भी प्रतिबिंब न आए तथा आपकी आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई दें।
- टोपी, हैट तथा ज्यादा रंगीन चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं, धार्मिक रूप से सिर पर पहने जाने वाले कपड़ों की अनुमति है किन्तु इससे आपका चेहरा नहीं ढकना चाहिए।
- आकार 200 X 230 पिक्सल (स्वीकृत)
- फाईल का आकार 20केबी-50केबी के बीच होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि यदि स्कैन ईमेल का आकार 50केबी से ज्यादा नहीं हो यदि फाईल का आकार 50केबी से अधिक हो तो स्कैनिंग करते समय डीपीआई रूपांतरण, रंगों की संख्या इत्यादि से स्कैनिंग की व्यवस्था को समायोजित करें।

**हस्ताक्षर इमेज**

- आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही के पैन से हस्ताक्षर करने होंगे।
- केवल आवेदक द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किए जाएंगे।
- हस्ताक्षर का प्रयोग कॉल लेटर या जहां भी आवश्यकता हो, पर किया जाएगा।
- परीक्षा के समय पर उपस्थिति शीट पर तथा कॉल लेटर पर प्राप्त किए गए आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मिलने चाहिए। यदि नहीं मिलते तो अभ्यर्थी को अयोग्य माना जाएगा।
- साईज 140 X 60 पिक्सल (स्वीकृत)



- फाईल का आकार 10केबी —20केबी के बीच के मध्य होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन ईमेल का आकार 20केबी से ज्यादा नहीं हो,

#### फोटोग्राफ व हस्ताक्षर की स्कैनिंग करना

- स्कैनर रूपांतरण को न्यूनतम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) पर सैट करने
- कलर को सही रंग (ट्यू कलर) पर सेट करने।
- ऊपर विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार फाईल का साईज।
- स्कैनर में फोटोग्राफ / हस्ताक्षर के किनारे पर इमेज को क्रॉप करना, इसके बाद इमेज को अंतिम आकार को क्रॉप करने को अपलोड एडीटर का प्रयोग करें (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है।)
- इमेज फाईल जेपीजी या जेपीईजी फार्मेट में होनी चाहिए। उदाहरणतः फाईल का नाम, ईमेज01.जेपीजी या ईमेज01.जेपीईजी। इमेज आकार को फोल्डर फाईल को सूचीबद्ध करके या फाईल ईमेज आईकॉन पर माउस घुमाकर चैक किया जा सकेगा। जो अभ्यर्थी एमएस विन्डो / एमएस ऑफिस का प्रयोग करते हैं वह आसानी से फोटो व हस्ताक्षर इन जेपीईजी फार्मेट जो 50केबी व 20केबी से ज्यादा न हो, क्रमशः एमएस पेंट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का प्रयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी रूप में स्कैन फोटोग्राफ व हस्ताक्षर को फाईल मैन्सू में सेव एज' विकल्प का प्रयोग जेपीजी फार्मेट में सुरक्षित रक्ष सकते हैं तथा री-साईज का प्रयोग करके आकार को 50केबी (फोटोग्राफ) व 20केबी (हस्ताक्षर) से नीचे तक घटाया जा सकता है।

\*कृपया पिक्सल साईज के लिए मैन्सू में उक्त मद 'ग' को देखें।

यही विकल्प अन्य फोटो ओडीटर में भी उपलब्ध है।

यदि फाईल साईज व फार्मेट विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार नहीं है, तो गलती का मैसेज(एरर मैसेज) दिखाया जाएगा।

ऑन-लाईन आवेदन पत्र फाईल करते समय, अभ्यर्थी को अपनी फोटोग्राफ व हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए लिंक प्रदान किया जाएगा।

#### फोटोग्राफ व हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया

- फोटोग्राफ व हस्ताक्षर को अपलोड करने के लिए दो पृथक लिंक होंगे।
- संबंधित लिंक "अप-लोड फोटोग्राफ/हस्ताक्षर" पर क्लिक करें।
- जिस स्थान पर स्कैन की गई फोटो/ हस्ताक्षर को सुरक्षित किया गया है, का चयन करें तथा ब्राउज करें।
- उस पर क्लिक करके फाईल का चयन करें।
- 'अप-लोड' बटन पर क्लिक करें।

नोट: कृपया नोट करें कि उम्मीदवार का नाम, श्रेणी, जन्मतिथि, पता, मोबाईल नं., ईमेल आईडी, परीक्षा का केन्द्र, इत्यादि सहित ऑन-लाईन आवेदन पत्र में वर्णित किए गए सभी विवरणों को अंतिम माना जाएगा तथा ऑन-लाईन आवेदन पत्र के प्रस्तुतिकरण के पश्चात् किसी भी परिवर्तन/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑन-लाईन आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी बरतें चूंकि विवरणों में संशोधन से संबंधित किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। कंपनी आवेदन पत्र में गलत और/या अपूर्ण ब्यौरों को प्रस्तुत करने से या आवेदन पत्र में अपेक्षित ब्यौरों को गलती से न देने पर उत्पन्न किन्हीं भी परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

किसी भी प्रकार से अपूर्ण ऑन-लाईन आवेदन पत्र को, जैसे कि ऑन-लाईन आवेदन पत्र में अनुचित आकार के अपलोड किए गए फोटोग्राफ या हस्ताक्षर/ असफल फीस भुगतान को वैध नहीं माना जाएगा/ अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में सूचित किया जाता है कि अंतिम तिथि से पूर्व ऑन-लाईन आवेदन करें तथा इंटरनेट पर ज्यादा भार/ वेबसाईट जाम के कारण, वेबसाईट पर लॉग-इन न कर पाने/ कनेक्शन टूटने/ असमर्थता की संभावना से बचने के लिए, फीस जमा करने/सूचना खर्चों के लिए अंतिम तिथि तक का इंतजार न करें। कंपनी उक्त कथित कारणों या किन्हीं अन्य कारणों के कारण अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने में असमर्थ होने पर, अभ्यर्थियों के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगी। कृपया नोट करें कि आवेदन करने के लिए उक्त प्रक्रिया ही मान्य प्रक्रिया है। आवेदन का अन्य कोई तरीका मान्य नहीं होगा। अपूर्ण आवेदनों को रद्द माना जाएगा।

अपने आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी अन्य जानकारी, अभ्यर्थी पर व्यक्तिगत रूप से बाध्य होगी तथा बाद में उसके द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी/विवरण, यदि गलत पाए जाते हैं तो वह सजा पाने/कानूनी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

#### कॉल लेटर को डाऊन-लोड करना

अभ्यर्थियों को ऑन-लाईन परीक्षा (चरण-I व II के लिए अलग से) परीक्षा के लिए, कॉल लेटर डाऊन-लोड करने के लिए हमारी वेबसाईट [www.orientalinsurance.org.in](http://www.orientalinsurance.org.in) पर जाना होगा। कॉल लेटर डाऊन-लोड करने की सूचना ईमेल/एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी। अभ्यर्थी एक बार संबंधित लिंक को क्लिक करता है, तो वह कॉल लेटर डाऊन-लोड करने के लिए विंडो को एक्सेस कर सकता है। अभ्यर्थी को कॉल लेटर डाऊन-लोड



करने के लिए (i) रजिस्ट्रेशन नं./रोल नं., (ii) पासवर्ड/जन्म तिथि का प्रयोग अपेक्षित है। अभ्यर्थी को कॉल लेटर पर अभी हाल की पहचानी जाने वाली फोटोग्राफ लगानी होगी, विशेष रूप से जो रजिस्ट्रेशन के दौरान दी गई थी तथा परीक्षा केन्द्र पर (i) कॉल लेटर (ii) पहचान को सत्यापित करने के लिए तथा कॉल लेटर में पहले विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार फोटो पहचान पत्र तथा (iii) उसी फोटो पहचान पत्र की फोटो कॉपी मूल रूप से भी लाएं।

## 12. दुराचार के दोषी पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई

अभ्यर्थियों से अपने स्वयं के हित में सूचित किया जाता है कि वे ऐसे कोई भी विवरण न दें जो झूठे, बदले गए या जाली हैं, तथा ऑन-लाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छुपाएं।

ऑन-लाईन परीक्षा, साक्षात्कार या उसके पश्चातवर्ती चयन प्रक्रिया के समय पर, कोई दोषी पाया जाता है या पाया गया है तो वह स्वयं को अपराधिक कार्यवाही के अलावा निम्न के लिए उत्तरदायी होगा:

(i) गलत तरीके का प्रयोग करके या (ii) भेष बदल कर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भेष बदलवाकर या (iii) परीक्षा/साक्षात्कार में दूर्व्यवहार करके या छुपाकर, प्रकाशित, द्वारा तैयार करके, संचारण, स्टोर करके या ट्रांसमीटिंग उपलब्ध करवाकर तथा परीक्षा(याँ) की विषयवस्तु को स्टोर करके या उसमें किसी भी जानकारी को पूर्णतः या किसी भी रूप में उसके किसी भी भाग को या किसी भी माध्यम से, मौखिक या लिखित, किसी भी उद्देश्य से इलैक्ट्रॉनिकली या यांत्रिक रूप से या (iv) अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेना या (v) अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी भी अनुचित माध्यमों द्वारा सहायता प्राप्त करना या (vi) परीक्षा/ साक्षात्कार हॉल में संप्रेषण के लिए मोबाइल फोन या इसी प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों को साथ ले जाना, ऐसे उम्मीदवार, स्वयं को अपराधिक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करने के अलावा दोषी पाया जाता है तो निम्न के लिए भी उत्तरदायी होंगे:

1. उसे परीक्षा से अयोग्य किया जाएगा जिसके वह अभ्यर्थी हैं।
2. दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित की गई किसी भी परीक्षा से, स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए बाहर कर दिया जाएगा।
3. यदि उसने पहले ही कंपनी (दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) में कार्यभार संभाल लिया है तो सेवा की समाप्ति की जाएगी।

अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस हेतु विशेष दिशानिर्देश

ए. अनु.जाति/अनु.जनजाति के उम्मीदवारों के संबंध में जाति प्रमाण पत्र निम्नलिखित प्राधिकारियों से प्राप्त किया जाएगा:

- i) जिला न्यायाधीश / अतिरिक्त जिला न्यायाधीश / जिलाधीश / उपायुक्त / उप जिलाधीश / प्रथम श्रेणी के वैतनिक दण्डाधिकारी / उप मंडलीय न्यायाधीश / तालुका न्यायाधीश / कार्यकारी न्यायाधीश / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वैतनिक दण्डाधिकारी की श्रेणी से नीचे नहीं)
- ii) मुख्य प्रधान न्यायाधीश / अतिरिक्त मुख्य प्रधान न्यायाधीश / प्रधान न्यायाधीश
- iii) कम से कम तहसीलदार की श्रेणी का राजस्व अधिकारी।
- iv) उस क्षेत्र के उप मंडलीय अधिकारी, जहां पर अभ्यर्थी और/या उसका परिवार आमतौर पर रहता है।
- v) जहां तक तमिलनाडू के अनु.जनजाति समुदाय का संबंध है, तहसीलदार की बजाय राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण ही स्वीकार किया जाएगा।

नोट: साक्षात्कार के साथ उस राज्य / संघ शासित के उपायुक्त प्राधिकारियों से, जहां से जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, प्रमाणित फोटोस्टेट कॉपी सहित जाति वैधता प्रमाण पत्र की मूल प्रति, प्रस्तुत की जाएगी।

बी. ओबीसी के रूप में आरक्षण चाहने वाले उन अभ्यर्थियों को डीओपीटी ओएम नंबर में वर्णित किए गए प्राधिकार द्वारा जारी किए गए उसके "ओबीसी दर्जा व नॉन-क्रीमी लेयर का दर्जा" से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

दिनांकित 15/11/1993 36012/22/93-स्था.(एससीटी) {दिनांकित 14/10/2008 को ओएम नं.36033/3/2004-स्था..(आवा.) द्वारा संशोधित}। प्रमाण पत्र में दिनांक 31/03/2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु आय पर आधारित "नॉन-क्रीमी लेयर क्लॉज" शामिल होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के अलावा घोषणा भी निम्नलिखित फार्मट में प्रस्तुत करनी होगी:

"मैं \_\_\_\_\_ सुपुत्र/सुपुत्री श्री \_\_\_\_\_ गांव/शहर/नगर \_\_\_\_\_ जिला राज्य \_\_\_\_\_ का निवासी एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि मैं \_\_\_\_\_ समुदाय से संबंध रखता/रखती हूँ जो कि दिनांकित 8-9-1993 के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालयी मेमोरैंडम नं.36012/22/93-स्था.(एससीटी) (जोकि दिनांकित 14.10.2008 के ओएम नं. 36033/3/2004-स्था.(आवा.) द्वारा संशोधित किया गया है) में शामिल आदेशानुसार सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पिछड़ी श्रेणी के रूप में जाना जाता है। यह भी घोषणा की जाती है कि मैं उपरोक्त संदर्भित कार्यालयी जापन दिनांकित 8-9-1993 तथा कार्यालयी जापन सं.36033/3/2004-स्था. (आवा.) दिनांक 9 मार्च 2004 तथा कार्यालयी जापन सं.36033/3/2004-स्था. (आवा.) दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 के कॉलम 3 में वर्णित किए गए व्यक्तियों/खंडों/खंडों(क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

सी. दिव्याजनों वाले व्यक्तियों के लिए: जिला स्तर पर मेडीकल मंडल जिसमें मुख्य चिकित्सकीय अधिकारी जिसमें उप मंडलीय चिकित्सकीय



अधिकारी तथा ऑर्थोपेडिक/ ऑफथाल्मिक/ईएनटी सर्जन शामिल हैं, प्रमाणित करने वाला प्राधिकृत अधिकारी होगा।

डी. कृपया साक्षात्कार के समय पर प्रस्तुत किए जाने वाले (अनु.जाति, अनु.जनजाति, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी,ईडब्ल्यूएस एवं भूतपूर्व-कर्मचारी) प्रमाणपत्रों के विनिर्दिष्ट फार्मेट हेतु परिशिष्ट का संदर्भ लें। इन श्रेणियों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों को सख्ती से केवल उन्हीं फार्मेट में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

### 13. सामान्य जानकारी

ए) परीक्षा के प्रबंधन में कुछ परेशानी(यों) के होने की संभावना से पूर्णतया इंकार नहीं किया जा सकता जिनके उत्पन्न होने से परीक्षण वितरण और/या परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में, समस्या के समाधान हेतु भरसक प्रयास किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों को अन्य केन्द्रों में स्थानांतरित करना या यदि आवश्यक माना जाता है तो पुनः द्वारा परीक्षा संचालित करना शामिल है। इस संबंध में कंपनी का निर्णय अंतिम होगा। जो अभ्यर्थी इन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करना चाहते उनकी इस परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी।

बी) कंपनी का नियुक्ति से संबंधित सभी मामलों में निर्णय अंतिम माना जाएगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्य होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

सी) यदि परीक्षा एक से ज्यादा सत्रों में आयोजित की जाती है तो विभिन्न सत्रों में स्कोर की पूरे सत्रों में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न परीक्षण बैटरियों के कठिनाई स्तर में मामूली अंतरों के लिए समायोजित किया जाएगा यदि किसी केन्द्र पर मूलभूत क्षमता कम है या किसी भी केन्द्र पर या किसी अभ्यर्थी के लिए तकनीकी व्यवधान होता है या कोई क्षमता कम है तो एक से अधिक सत्र होंगे।

डी) व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के जवाबों (उत्तरों) का विश्लेषण किया जाएगा तथा सही और गलत जवाबों की समानता को पता लगाने के लिए अन्य अभ्यर्थियों के साथ तुलना की जाएगी। यदि इस संबंध में अपनाए गए विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में यह अनुमान लगाया गया है कि जवाब साझा किए गए हैं और प्राप्त अंक वास्तविक/मान्य नहीं हैं, कंपनी संबंधित अभ्यर्थियों को उम्मीदवारिता रद्द करने का अधिकार रखती है और ऐसे उम्मीदवारों के परिणाम (अयोग्य) रोक दिया जाएगा।

ई) चयन प्रक्रिया की किसी भी स्थिति में, अभ्यर्थी द्वारा प्रक्रिया का उल्लंघन और/या गलत जानकारी प्रदान करने की घटनाओं से, अभ्यर्थी को अयोग्य ठहराया जाएगा और उसे भविष्य में किसी भी ओआईसीएल (दि ऑरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) की भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान उन घटनाओं का पता नहीं चल पाता है, किन्तु बाद में पता चल जाता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी।

फ) आवेदक को पद के लिए ऑन-लाइन आवेदन करते समय सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पात्रता को पूरा करता/करती है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण तथा उक्त तिथियों के अनुसार उक्त वर्णित किए गए मापदंड सभी प्रकार से सही हैं। यदि भर्ती की किसी भी स्थिति में यह पता चलता है कि अभ्यर्थी पात्रता मापदंडों को पूरा नहीं करता है और/या कि उसने कोई भी गलत/झूठी जानकारी प्रस्तुत की है या किसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया है, उसका/उसकी उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी। यदि ऐसी कोई भी गलती, नियुक्ति के पश्चात् भी पाई जाती है, उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

जी) अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित के लिए अंतिम तिथि से पूर्व ही आवेदन करने के लिए कहा जाता है तथा इंटरनेट पर ज्यादा लोड या वेबसाइट जाम के कारण वेबसाइट पर लॉग करने पर लिंक टूटने/असमर्थ/असफल होने की संभावना को दूर करने के लिए अंतिम तिथि तक का इंतजार न करें।

एच) यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी कारण से अपने आवेदन को अंतिम तिथि के भीतर जमा नहीं कर पा रहे हैं तो इसके प्रति कंपनी को कोई उत्तरदायी नहीं बनाता।

आई) अभ्यर्थियों को स्वयं के ऑन-लाइन रजिस्टर करने के लिए तथा भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपने ईमेल को चालू रखने के लिए कहा जाता है। अभ्यर्थियों को कंपनी से एसएमएस सेवा के लिए आवेदन फार्म में अपना मोबाइल नंबर देना चाहिए।

जे) अभ्यर्थियों का चयन ऑन-लाइन परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। कंपनी जहां भी आवश्यक समझे किसी भी अन्य परीक्षा को करवाने तथा अपने किसी केन्द्र को शामिल करने, हटाने या आबंटित करने का विशेष अधिकार सुरक्षित रखती है।

के) ऑनलाइन परीक्षा में प्रवेश, अभ्यर्थियों की आयु/योग्यता/ (अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/ पीडब्ल्यूडी/ईडब्ल्यूएस /एक्सएस) संबंधी दस्तावेजों के संदर्भ में सत्यापन के बिना पूर्ण रूप से अस्थायी होगी।

एल) साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों द्वारा आयु/योग्यता/श्रेणी इत्यादि से संबंधित दस्तावेज, साक्षात्कार के समय पर प्रस्तुत करने होंगे। अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी का आरक्षण चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी से विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में स्पष्ट रूप से उम्मीदवार



की जाति बताकर, जाति वैधता प्रमाण पत्र सहित प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

एम) यदि किसी भी स्तर पर जाति प्रमाण पत्र की गलत बयानी पाई जाती है तो उम्मीदवारी स्वयं ही रद्द हो जाएगी।

एन) राष्ट्रीकृत बैंकों व वित्तीय संस्थानों सहित सरकारी/अर्ध सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय पर अपने नियोक्ताओं से 'अनापति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी मान्य नहीं होगी तथा यात्रा खर्च, यदि अन्य कोई स्वीकार्य है तो उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है उन्हें कंपनी में कार्यभार संभालते समय अपने नियोक्ता (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/निजी) से डिस्चार्ज लैटर/कार्यमुक्त पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके बिना उन्हें कार्यभार नहीं संभालने दिया जाएगा।

ओ) अभ्यर्थियों को अपने स्वयं के खर्च पर परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थी यात्रा प्रमाण (रेल/बस टिकट/रसीद इत्यादि) प्रस्तुत करने पर, अपने आवास के स्थान से सबसे छोटे से रास्ते से स्लीपर क्लास से आने वा जाने का रेल किराया/बस किराया पाने के हकदार हैं।

पी) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी मेडीकल फिटनेस के अधीन होती है। ऐसी नियुक्ति कंपनी के सेवा और आचरण नियमों के अधीन ही होगी।

क्यू) अहर्ता, ऑन-लाईन परीक्षाओं में आचरण, अन्य परीक्षाओं, साक्षात्कार व चयन से संबंधित सभी मामलों पर कंपनी का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी अभ्यर्थियों पर बाध्य होगा। इस संबंध में कंपनी कोई भी अभ्यावेदन या पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं करेगी।

आर) कंपनी अभ्यर्थी के आरंभिक नियुक्ति स्थान से 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले भारत में कहीं पर स्थानांतरित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

एस) इस विज्ञापन से उत्पन्न किसी मतभेद या किसी भी प्रकार के दावे के संबंध में किसी कानूनी कार्यवाई या/और उत्तर के संबंध में किसी आवेदन का विशेष अधिकार होगा।

टी) चयनित अभ्यर्थी उस समय कंपनी के उस समय प्रभावी सेवा विनियमों की सेवा व शर्तों द्वारा शासित होंगे।

यू) परीक्षा भवन के अंदर मोबाईल फोन, केलकुलेटर या ऐसी किन्हीं उपकरणों का प्रयोग निषेध होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा परिसर में दाखिल होने से पहले निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार होना चाहिए:

i) जहां पर परीक्षा संचालित की जाती है, परिसर के भीतर मोबाईल फोन या किन्हीं अन्य संप्रेषण उपकरणों की अनुमति नहीं दी जाती है। इन निर्देशों के किसी भी उल्लंघन से उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा भविष्य में परीक्षाओं पर रोक सहित आनुशासनिक कार्यवाई की जाएगी।

ii) अभ्यर्थियों के स्वयं के हित के लिए परीक्षा स्थल पर मोबाईल फोन सहित किन्हीं निषिध सामानों को न लाने का निर्देश दिया जाता है चूंकि सुरक्षित रूप से रखने का कोई भी प्रबंध नहीं होगा।

वी) परीक्षा/साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्ण रूप से अस्थायी है।

मात्र तथ्य यह है कि अभ्यर्थी को जारी किए जा रहे बुलावा पत्र (कॉल लेटर) का यह तात्पर्य नहीं है कि कंपनी द्वारा उसकी अभ्यर्थी को अंततः मंजूरी दे दी गई है।

डब्ल्यू) कारण बताए बिना प्रक्रिया की किसी भी स्थिति में, कंपनी को उक्त भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

किन्हीं विसंगतियों की स्थिति में, हमारी वेबसाईट [www.orientalinsurance.org.in](http://www.orientalinsurance.org.in) के भर्ती खंड में प्रकाशित किए गए विस्तृत विज्ञापन के अंग्रेजी अनुवाद को अंतिम माना जाएगा। अभ्यर्थियों के ऑन-लाईन आवेदन के लिए तथा भर्ती प्रक्रिया में आगे की जानकारियों के लिए हमारी वेबसाईट के भर्ती खंड पर जाने का निर्देश दिया जाता है।

किसी भी प्रकार के पक्ष प्रचार को अयोग्य माना जाएगा।



**अनुजाति या अनुजनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म**

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री\* \_\_\_\_\_ सुपुत्र/सुपुत्री \_\_\_\_\_  
गांव/शहर \_\_\_\_\_ जिला/मंडल\* \_\_\_\_\_ राज्य/केन्द्र शासित\* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ में जाति/जनजाति \_\_\_\_\_ है, जिसे निम्न के अंतर्गत अनुसूचित

जाति/अनुजनजाति के रूप में माना जाता है:

- \* संविधान ( अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 ;
- \* संविधान ( अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 ;
- \* संविधान (अनुसूचित जाति) (केन्द्र शासित) आदेश, 1951 ;
- \* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (केन्द्र शासित) आदेश, 1951 ;

[जैसा कि (अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की सूची संशोधन) आदेश, 1956; मुम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर-पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, संविधान (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित किया गया है:

- \* संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 ;
- \* संविधान (अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959; अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित
- \* संविधान (दादरा-नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 ;
- \* संविधान (दादर-नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 ;
- \* संविधान (पॉण्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964;
- \* संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967;
- \* संविधान (गोवा, दमन दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 ;
- \* संविधान (गोवा, दमन दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 ;
- \* संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 ;
- \* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 ;
- \* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 ;
- \* संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 ;
- \* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990;
- \* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991 ;
- \* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 ;
- \* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996.
- \* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- \* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002
- \* संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- \* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम 2002

# 2. उन अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर लागू है, जो एक राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश से माईग्रेट हुए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमति/कुमारी \_\_\_\_\_ माता/पिता श्री/श्रीमति/कुमारी \_\_\_\_\_  
गांव/शहर \_\_\_\_\_ जोकि \_\_\_\_\_ जिला/मंडल\* \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश\*  
\_\_\_\_\_ में \* \_\_\_\_\_ जाति/जनजाति से संबंध रखते  
हैं, जो दिनांक \_\_\_\_\_ के आदेश से \_\_\_\_\_ [प्राधिकरण का नाम] के द्वारा  
जारी किए गए आदेशानुसार राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के आधार पर जारी किया गया है।



3. श्री/श्रीमति/कुमारी\* \_\_\_\_\_ और/या\* उसके\* पारिवारिक सदस्य(यों) सामान्यतः  
\_\_\_\_\_ राज्य/केन्द्र शासित राज्य\* के \_\_\_\_\_ जिला/मंडल\* के \_\_\_\_\_  
गांव/शहर में सामान्यतः रहते हैं।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_

[राज्य/संघ  
शासित क्षेत्र के  
कार्यालय की  
मुहर सहित]

स्थान :

दिनांक :

नोट: यहां पर प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः रहते हैं" का अभिप्राय लोक अधिनियम, 1950 के अभ्यावेदन के खंड 20 के अनुसार होगा।

\* कृपया उन शब्दों को हटाएं जो लागू नहीं हैं।

# पैराग्राफ को हटाएं जो लागू नहीं हैं।

जाति/जनजाति प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारियों की सूची :

1. जिला न्यायाधीश / अतिरिक्त जिला न्यायाधीश / जिलाधीश / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / उप-जिलाधीश/ श्रेणी I वैतनिक न्यायाधीश / उप-मंडलीय न्यायाधीश / अतिरिक्त सहा.आयुक्त / तालुका न्यायाधीश / कार्यकारी न्यायाधीश ।
2. मुख्य प्रेसीडेंसी न्यायाधीश / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी न्यायाधीश / प्रेसीडेंसी न्यायाधीश।
3. तहसीलदार से ऊपर की श्रेणी के राजस्व अधिकारी।
4. उस क्षेत्र के उप-मंडलीय अधिकारी जहां पर अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

नोट : प्रमाण पत्र समय - समय पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में संशोधन /परिवर्तन के आधीन है ।



**भारत सरकार के अंतर्गत पदों की नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए,  
अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री/श्रीमति  
..... जो राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश ..... में  
जिला/डिवीजन ..... में गांव/शहर  
.....के ..... समुदाय से संबंध रखता/रखती है जो भारत  
सरकार, सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण विनियम सं. .... के अंतर्गत पिछड़ी श्रेणी के रूप में जाने जाते  
हैं। ..... दिनांकित .....\* श्री/श्रीमति/कुमार ..... और/या उसका परिवार  
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश ..... के जिला/डिवीजन ..... में  
सामान्यतः रहता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कर्मिक व प्रशिक्षण विभाग ओ.एम.सं. 36012/22/93 -  
स्था.(एससीटी) दिनांक 08.09.1993\*\* की अनुसूची के कॉलम 3 में वर्णित किए गए व्यक्तियों /खंडों (क्रीमी लेयर) से संबंध नहीं रखता है।

जिला न्यायाधीश  
उपायुक्त इत्यादि

दिनांक:

मुहर

\*- प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का ब्यौरा देना होगा जिसमें ओबीसी के रूप में अभ्यर्थी की जाति बताई गई है।

\*\*- समय-समय पर संशोधनानुसार।

नोट:- नोट: यहां पर प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" का अभिप्राय लोक अधिनियम, 1950 के अभ्यावेदन के खंड 20 के अनुसार होगा।  
निर्दिष्ट प्रोफोर्मा, समय-समय पर भारत सरकार के दिशा - निर्देशों के संशोधन के आधीन होगा ।



फार्म-5

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(अंग-विच्छेदन या अंगों का पूर्ण स्थायी अंगघात, बौनापन नेत्रहीनता की स्थिति में)

(निर्दिष्ट प्रोफोर्मा समय समय पर संशोधन के अधीन है)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सकीय प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटोग्राफ  
(केवल चेहरा दिखता हुआ)

दिनांक :

प्रमाण पत्र नं.

यह सत्यापित किया जाता है कि मेरे द्वारा सावधानी पूर्वक जांचा गया है:

श्री/श्रीमति/कुमारी \_\_\_\_\_ जिसकी फोटोग्राफ पुत्र/पत्नी /पुत्री \_\_\_\_\_  
श्री \_\_\_\_\_ जन्म तिथि (दिन / माह / वर्ष) \_\_\_\_\_ आयु \_\_\_\_\_ वर्ष, पुरुष/महिला रजिस्ट्रेशन नं. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ मकान नं. \_\_\_\_\_ निवासी, वार्ड/गांव/गली \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ पोस्ट ऑफिस \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ का स्थायी निवासी है तथा संतुष्ट हूँ कि:

(1) यह निम्न का मामला है :

लोकोमोटर अयोग्यता  नेत्रहीनता  बौनापन

(कृपया लागू के रूप में चिन्हित करें)

(2) इनके मामले में रोग-निदान है \_\_\_\_\_

(क) दिशानिर्देशों (चिनिर्दिष्ट किए जाने) के अनुसार उसके \_\_\_\_\_ (शरीर के अंग) के संबंध में, उसका स्थायी शारीरिक हानि/नेत्रहीनता का \_\_\_\_\_ % (अंकों में) \_\_\_\_\_ % (शब्दों में) है।

2. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का प्रकार	जारी करने की तिथि	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान, जिसके पक्ष में अयोग्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

(अधिसूचित चिकित्सकीय प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर)



फार्म - 6  
अयोग्यता प्रमाण पत्र  
(बह दिव्यांगता की स्थिति में)  
(निर्दिष्ट प्रोफोर्मा समय समय पर संशोधन के अधीन है)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सकीय प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखता हुआ )
--

प्रमाण पत्र नं. \_\_\_\_\_

दिनांक : \_\_\_\_\_

यह सत्यापित किया जाता है कि मेरे द्वारा सावधानी पूर्वक जांचा गया है

श्री/श्रीमति/कुमारी \_\_\_\_\_ जिसकी फोटोग्राफ ऊपर लगाई गई है पुत्र/पत्नी /पुत्री श्री \_\_\_\_\_

जन्म तिथि (दिन / माह / वर्ष) \_\_\_\_\_ आयु \_\_\_\_\_ वर्ष, पुरुष/महिला

रजिस्ट्रेशन नं. \_\_\_\_\_ मकान नं. \_\_\_\_\_ निवासी, वार्ड/गांव/गली \_\_\_\_\_

पोस्ट ऑफिस \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ तथा संतुष्ट हूँ कि:

- (1) यह मामला बह दिव्यांगता के लिए है। उनकी स्थाई शारीरिक क्षति/ दिव्यांगता को निम्नलिखित दिव्यांगताओं हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों (विनिर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार मूल्यांकन किया गया है और निम्नलिखित सारण में दिव्यांगता के सामने दर्शाया गया है।

क्र.सं.	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दिव्यांगता/ मानसिक दिव्यांगता (% में)
1	चलन संबंधी दिव्यांगता	@		
2	मांसपेशीय दुर्बिकास			
3	ठीक किया हुआ कुष्ठ			
4	बौनापन			
5	प्रमस्तिष्क घात			
6	अम्ल हमले की पीडित			
7	कम दृष्टि	#		
8	दृष्टिहीनता	#		
9	श्रवण क्षति	£		
10	सुनने में कठिनाई	£		
11	वाक और भाषा दिव्यांगता			
12	बौद्धिक दिव्यांगता			
13	विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता			
14	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम			



15	मानसिक रूग्णता			
16	क्रोनिक स्नायविक स्थिति			
17	बहुल काठिन्य			
18	पार्किन्सन रोग			
19	हीमोफीलिया			
20	थैलेसीमिया			
21	सिकल सेल रोग			

(2) उक्त के संदर्भ में, दिशानिर्देशों के अनुसार, उसका/उसकी संपूर्ण स्थायी शारीरिक हानि, निम्न प्रकार से है:-

अंकों में :- \_\_\_\_\_ प्रतिशत

शब्दों में :- \_\_\_\_\_ प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रोग्रेसिव / गैर-प्रोग्रेसिव है/सुधार की संभावना है/सुधार की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्निर्धारण :

(i) आवश्यक नहीं है,

या

(ii) \_\_\_\_\_ माह \_\_\_\_\_ वर्षों के पश्चात् सिफारिश की जाती है व इसी लिए यह प्रमाण पत्र \_\_\_\_\_ दिन/माह/वर्ष तक वैध होगा:

@ - अर्थात् बाईं/ दाईं/ दोनों बाजू/ टांगें

# - अर्थात् एक आंख / दोनों आंखें

£ - अर्थात् बायां / दायां / दोनों कान

4. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

दस्तावेज का प्रकार	जारी करने की तिथि	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सकीय प्राधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर

सदस्य का नाम व मुहर	सदस्य का नाम व मुहर	अध्यक्ष का नाम व मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।



फार्म - 7

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(फार्म 5 व 6 में वर्णित किए गए उन मामलों के अलावा)  
(निर्दिष्ट प्रोफोर्मा समय समय पर संशोधन के अधीन है)

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सकीय प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटोग्राफ (केवल चेहरा दिखता हुआ )
--

प्रमाण पत्र नं.

दिनांक :

यह सत्यापित किया जाता है कि मेरे द्वारा सावधानी पूर्वक जांचा गया है:

श्री/श्रीमति/कुमारी \_\_\_\_\_ जिसकी फोटोग्राफ ऊपर लगाई गई है पुत्र/पत्नी /पुत्री श्री  
\_\_\_\_\_ जन्म तिथि (दिन / माह / वर्ष) \_\_\_\_\_ आयु \_\_\_\_\_ वर्ष,  
पुरुष/महिला रजिस्ट्रेशन नं.. \_\_\_\_\_ मकान नं. \_\_\_\_\_ निवासी, वाई/गांव/गली  
\_\_\_\_\_ पोस्ट ऑफिस \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य  
\_\_\_\_\_, का स्थायी निवासी है तथा संतुष्ट हूँ कि उसका/उसकी \_\_\_\_\_ विकलांगता का मामला है। उसका/उसकी  
शारीरिक हानि/दिव्यांगता प्रतिशत की सीमा को, नीचे तालिका में संबंधित अयोग्यता के सामने दर्शायी गई तथा नीचे चिन्हित दिव्यांगता के  
लिए दिशानिर्देशों (विनिर्दिष्ट किया जाए) के अनुसार मूल्यांकित किया गया है:

क्र.सं.	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दिव्यांगता/ मानसिक दिव्यांगता (% में)
1	चलन संबंधी दिव्यांगता	⊙		
2	मांसपेशीय दुर्बिकास			
3	ठीक किया हुआ कुष्ठ			
4	प्रमस्तिष्क घात			
5	अम्ल हमले की पीडित			
6	कम दृष्टि	#		
7	बधिर	£		
8	श्रवण क्षति			
9	वाक और भाषा दिव्यांगता			
10	बौद्धिक दिव्यांगता			
11	विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता			
12	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम			
13	मानसिक रूग्णता			



14	क्रोनिक स्त्रायविक स्थिति			
15	बहुल काठिन्य			
16	पार्किन्सन रोग			
17	हीमोफीलिया			
18	थैलेसीमिया			
19	सिकल सेल रोग			

(कृपया उक्त अयोग्यताएं हटाएं जो लागू नहीं हैं)

2. उक्त स्थिति प्रोग्रेसिव / गैर-प्रोग्रेसिव है/सुधार की संभावना है/सुधार की संभावना नहीं है।

3. अयोग्यता का पुनर्निर्धारण : (i) आवश्यक नहीं है,

या

(ii) \_\_\_\_\_ माह \_\_\_\_\_ वर्षों के पश्चात् सिफारिश की जाती है व इसी लिए यह प्रमाण पत्र \_\_\_\_\_ दिन/माह/वर्ष तक वैध होगा:

@ - अर्थात् बाईं/ दाईं/ दोनों बाजू/ टांगें

# - अर्थात् एक आंख / दोनों आंखें

£ - अर्थात् बायां / दायां / दोनों कान

4. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

दस्तावेज का प्रकार	जारी करने की तिथि	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित मेडीकल अधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर)

(नाम व मुहर)

प्रति हस्ताक्षर

{यदि प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सकीय प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है जो सरकारी नौकर नहीं है तो सरकारी अस्पताल के प्रभारी/मेडीकल सुपरिंटेंडेंट/सीएमओ के प्रति हस्ताक्षर (मुहर के साथ)}

जिस व्यक्ति के संबंध में अयोग्यता प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नोट : यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सकीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जो सरकारी नौकर नहीं है तो यह तभी मान्य होगा यदि जिले के मुख्य चिकित्सकीय अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होंगे।



## प्रोफोर्मा - ए

सेवानिवृत्त मुक्त कार्मिक हेतु लागू प्रमाण पत्र का फार्म  
यह प्रमाणित किया जाता है कि संख्या \_\_\_\_\_ रैंक \_\_\_\_\_ नाम \_\_\_\_\_ जिसकी जन्म तिथि  
\_\_\_\_\_ है ने सेना/नौसेना/वायु सेना से \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक की सेवाएं प्रदान की हैं।

2. उसे निम्न कारणों से सैनिक सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है:

५ए) \_\_\_\_\_ के बिना काम पूरा होने पर

(i) निष्कासित किए जाने पर, या

(ii) दुराचार या अकुशलता के कारण छोड़ना

(iii) अपने अनुरोध पर परंतु पेंशन अर्जित किए बिना, अथवा

(iv) उसे इस प्रकार के ऐसी लंबित मुक्ति के कारण स्थानांतरित नहीं किया गया है कि

५बी) सैनिक सेवा के कारण शारीरिक विकलांगता के कारण

५सी) सैनिक सेवा में 5 वर्ष तक रहने के बाद अनुपयुक्त पाए जाने पर

3. वह समय-समय पर संशोधित भूतपूर्व सैनिक (सेंट्रल सिविल सेवाओं और पदों में पुनः नियोजन) नियम, 1979 की परिभाषा में आता हो।

स्थान:

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम तथा

पदनाम \*\*

तिथि:

मुहर

\* जो पैराग्राफ लागू न हो उसे काट दें।

\*\* जो अधिकारी सशस्त्र बल कार्मिकों को आयु छूट प्रदान करने हेतु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं वे निम्न हैं:

(क) ईसीओ/एसएससीओ सहित आयुक्त अधिकारियों के मामले में: थल सेना: सैनिक सचिव शाखा, आर्मी हैडक्वार्टर, नई दिल्ली: जल सेना: कार्मिक निदेशालय, नेवल हैडक्वार्टर, नई दिल्ली: वायु सेना: कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायु हैडक्वार्टर, नई दिल्ली।

(ख) जेसीओ/ओआर तथा जल सेना व वायु सेना के समकक्ष के मामलों में: वायु सेना: विविध रेजीमेंटल रिकार्ड कार्यालयों द्वारा, जल सेना: बीएबीएस, मुम्बई: वायु सेना: वायु बल रिकार्ड, नई दिल्ली।



## प्रोफार्मा - बी

सेवारत कार्मिक हेतु प्रमाण पत्र का फार्म  
(उन सेवारत कार्मिक पर लागू जिन्हें एक वर्ष के भीतर मुक्त कर दिया गया)

(iv) यह प्रमाणित किया जाता है कि संख्या \_\_\_\_\_ रैंक का \_\_\_\_\_ नाम \_\_\_\_\_ का व्यक्ति वायु/जल/सेना में \_\_\_\_\_ से सेवारत है।

2. अपने कार्य की विशिष्ट अवधि को पूरा हो जाने पर वह 31.12.2023 को या पूर्व सेवानिवृत्त /मुक्त किए जाने का पात्र है। .

3. उसके विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही लंबित नहीं है।

स्थान :

तिथि :

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम \*\*

मोहर

\*\* जो अधिकारी सशस्त्र बल कार्मिक को आयु छूट प्रदान करने हेतु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं वे निम्न हैं:

(v) ईसीओ/एसएससीओ सहित आयुक्त अधिकारियों के मामले में: थल सेना: सैनिक सचिव शाखा, आर्मी हैडक्वार्टर, नई दिल्ली: जल सेना: कार्मिक निदेशालय, नेवल हैडक्वार्टर, नई दिल्ली: वायु सेना: कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायु हैडक्वार्टर, नई दिल्ली।

(बी) जेसीओ/ओआर तथा जल सेना व वायु सेना में इसके समकक्ष के मामलों में: वायु सेना: विविध रेजीमेंटल रिकार्ड कार्यालयों द्वारा, जल सेना: बीएबीएस, मुम्बई: वायु सेना: वायु बल रिकार्ड, नई दिल्ली।



प्रोफार्मा - सी

सशस्त्र बल के उन सेवारत कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता जिन्हें एक वर्ष के भीतर मुक्त किया जाना है।

मैं समझता हूँ कि इस आवेदन से संबद्ध परीक्षा/भर्ती के आधार पर यदि मेरा चयन कर लिया जाता है तो मेरी नियुक्ति मेरे द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर नियोक्ता अधिकारी की संतुष्टि के तहत होगी कि मुझे थल सेना से विधिवत् रूप से सेवानिवृत्त/मुक्त कर दिया गया है और मैं समय-समय पर संशोधित भूतपूर्व सैनिक (री-एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल सिविल सर्विसिज एंड पोस्ट्स) नियम 1979, के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिक को देय लाभांश का पात्र हूँ।

अभ्यर्थी का नाम व हस्ताक्षर

स्थान :

तिथि :



## प्रोफार्मा - डी

सशस्त्र सेना में सेवारत उन कार्मिक हेतु प्रमाण पत्र का फार्म जिन्होंने अपना प्रारंभिक कार्य पूर्ण कर लिया है और वे विस्तारित कार्य कर रहे हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि संख्या \_\_\_\_\_ रैंक \_\_\_\_\_ नाम \_\_\_\_\_ जिनका जन्म तारीख \_\_\_\_\_ है थल/वायु/जल सेना में दिनांक \_\_\_\_\_ से सेवारत हैं।

2. उन्होंने अपने प्रारंभिक पांच वर्ष के कार्यकाल दिनांक \_\_\_\_\_ को पूर्ण कर लिया है तथा वह दिनांक \_\_\_\_\_ तक विस्तारित कार्य पर हैं।

3. उनके सिविल रोजगार के आवेदन करने पर कोई आपत्ति नहीं है और उनके चयन हेतु नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम \*\*

स्थान :

तिथि :

मोहर

\*\* जो अधिकारी सशस्त्र बल कार्मिकों को आयु छूट प्रदान करने हेतु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं वे निम्न हैं:

(क) ईसीओ/एसएससीओ सहित आयुक्त अधिकारियों के मामले में: थल सेना: सैनिक सचिव शाखा, आर्मी हैडक्वार्टर, नई दिल्ली: जल सेना: कार्मिक निदेशालय, नेवल हैडक्वार्टर, नई दिल्ली: वायु सेना: कार्मिक अधिकारी निदेशालय, वायु हैडक्वार्टर, नई दिल्ली।

(ख) जेसीओ/ओआर तथा जल सेना व वायु सेना में इसके समकक्ष के मामलों में: वायु सेना: विविध रेजीमेंटल रिकार्ड कार्यालयों द्वारा, जल सेना: वीएवीएस, मुम्बई: वायु सेना: वायु बल रिकार्ड, नई दिल्ली।



.....सरकार  
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा  
आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करना

प्रमाणपत्र संख्या.....  
दिनांक .....

- .....वर्ष के लिए वैध .....राज्य/केंद्र  
1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती /कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी .....के स्थायी निवासी हैं ; जिसका शासित प्रदेश में गांव/गली.....डाकघर.....जिला.....पिन कोड.....के स्थायी निवासी हैं ; जिसका फोटो नीचे सत्यापित है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है, क्योंकि वित्तीय वर्ष के लिए उसके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये ( रुपये आठ लाख केवल) से कम है। उनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति\*\*\* नहीं है।  
i. 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;  
ii. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट  
iii. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग और उससे अधिक का आवासीय भूखंड  
iv. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड  
2. श्री/ श्रीमती /कुमारी..... जाति..... से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर.....  
नाम.....  
पद का नाम.....

आवेदक का नवीनतम  
पासपोर्ट आकार का  
सत्यापित फोटो

- \*नोट 1: आय में सभी स्रोत शामिल हैं अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा, आदि।  
\*\*नोट 2: इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' शब्दों में वह व्यक्ति शामिल हैं, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन और उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं।  
\*\*\*नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिये भूमि या संपत्ति स्वामित्व परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों/शहरों में एक परिवार द्वारा रखी गई संपत्ति को जोड़ दिया गया है।

नोट:-

उपर दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र को केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा:-

- जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/उपविभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो तथा
- उपमंडल अधिकारी या वह क्षेत्र जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।



**बैंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए स्क्राइब का घोषणा प्रपत्र (40% या अधिक)**

**आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 2(आर) की परिभाषा के अनुसार**

- हम, अधोहस्ताक्षरी, श्री/ श्रीमती/सुश्री ..... परीक्षा..... के लिए पात्र उम्मीदवार और श्री /श्रीमती/सुश्री.....पात्र उम्मीदवार के लिए योग्य लेखक (स्क्राइब) एतद्वारा द्वारा घोषणा करते हैं कि,
- 1(i) हमने विस्तृत विज्ञापन में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को पढ़, समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं।
- (ii) स्क्राइब की पहचान उम्मीदवार द्वारा अपने खर्च पर और अपनी पसंद के अनुसार की जाती है।
- (iii) उम्मीदवार दृष्टिबाधित है और/या उसके पास गति सहित लिखने में स्थायी शारीरिक कमी है और उसे विकलांग व्यक्तियों की भर्ती को नियंत्रित करने वाले भारत सरकार के नियमों के तहत एक (स्क्राइब) की आवश्यकता है।
- 2 समय तत्व के महत्व को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा प्रतिस्पर्धी प्रकृति की होने के कारण, उम्मीदवार संगठन के चिकित्सा अधिकारी को पूरी तरह से संतुष्ट करने का वचन देता है कि एक स्क्राइब के उपयोग की आवश्यकता थी क्योंकि उसके पास लिखने सहित गति की स्थायी शारीरिक सीमा है।
3. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि परीक्षा में एक से अधिक हाजिरी उपस्थिति की अनुमति नहीं है, उम्मीदवार वचन देता है कि वह एक से अधिक बार परीक्षा में उपस्थित हाजिर नहीं हुआ/हुई है और उसके द्वारा व्यवस्थित किया गया स्क्राइब परीक्षा के लिए उम्मीदवार नहीं है। यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपरोक्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- 4 मैं..... ( स्क्राइब), मैं इस भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार नहीं हूँ।
- 5 मैं..... ( स्क्राइब), मैं दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का सक्रिय कर्मचारी नहीं हूँ।
- 6 मैं ..... (स्क्राइब), उम्मीदवार के समान शैक्षणिक स्टीम से संबंधित नहीं हूँ। (विशेषज्ञों के मामले में)
- 7 हम एतद्वारा घोषण करते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए उपरोक्त सभी कथन हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। हम यह भी समझते हैं कि यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पता चलता है कि हम पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं और/या हमारे द्वारा दी गई जानकारी गलत/झूठी है या हमने कोई महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी आवेदक की लिखित परीक्षा का परिणाम कुछ भी हो, रद्द कर दिया जाएगा। यदि उम्मीदवार की नियुक्ति के बाद भी इनमें से कोई भी कमी पाई जाती है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। ऐसी परिस्थितियों में, दोनों हस्ताक्षरकर्ता आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

हमारे हस्ताक्षर के तहत दिया गया

स्क्राइब के हस्ताक्षर

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

पंजीकरण संख्या

डाक पता :

अनुक्रमांक

स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता

डाक पता :

मोबाईल.....

मोबाईल.....

स्क्राइब की फोटो

उम्मीदवार की फोटो

उम्मीदवार के हस्ताक्षर



**परिशिष्ट - 1**

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण-पत्र, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है अर्थात 40% से कम विलांगता और लिखने में कठिनाई है।

- 1 यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री/सुश्री/श्रीमती..... (उम्मीदवार का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री  
..... निवासी ..... (ग्राम/पीओ/पीएस/जिला/राज्य)  
आयु..... वर्ष, ..... वाला व्यक्ति ..... (विकलांगता/स्थिति की प्रकृति)  
की जांच की है और यह बताने के लिए कि उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी कुछ सीमाएं हैं जो उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती हैं। परीक्षा लिखने के लिए उसे स्क्राइब के सहयोग की आवश्यकता है।
- 2 उपरोक्त उम्मीदवार सहायक और सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स हियरिंग एड (नाम निर्दिष्ट किया जाना चाहिए) का उपयोग करता है जो स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यक है।
- 3 यह प्रमाणपत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित में उपस्थित होने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और ..... तक वैध है (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम अवधि के लिए वैध है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)
हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक/पुनर्वास/मनोचिकित्सक/विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध हो)	अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर एवं नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी .....				
अध्यक्ष				

मुहर सहित सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम

स्थान:

तारीख:



## परिशिष्ट - II

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति द्वारा स्क्राइब घोषणा पत्र और वचन पत्र, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात वह व्यक्ति जिसे 40% से कम विकलांगता है और उसे लिखने में कठिनाई हो रही है।

- 1 ..... एक उम्मीदवार जो .....(विकलांगता/स्थिति की प्रकृति) वाला है जो ..... (परीक्षा का नाम) में उपस्थित हो रहा है जिसका रोल नं. ....स्थान ..... (केंद्र का नाम) .....जिला ..... ( राज्य का नाम ) है । मेरी शैक्षणिक योग्यता..... है।
  - 2 मैं एतद्वारा कहता/कहती हूँ कि ..... (स्क्राइब का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी को स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।
  - 3 मैं एतद्वारा वचन देता/देती हूँ कि उसकी योग्यता ..... है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित किये गये अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से परे है, तो मैं अपना पद का अधिकार और उससे संबंधित दावे को जब्त कर लूंगा/लूंगी। हम, अधोहस्ताक्षरकर्ता श्री/श्रीमती सुश्री ..... परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवार और श्री/श्रीमती/सुश्री..... योग्य उम्मीदवार के लिए योग्य लेखक (स्क्राइब) इसके द्वारा आगे घोषणा करते हैं कि:
  - 4 (i) हमने विस्तृत विज्ञापन में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को पढ़, समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं।  
(ii) स्क्राइब की पहचान उम्मीदवार द्वारा अपने खर्च पर और अपने चयन के अनुसार की जाती है।
  - 5 समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा प्रतिस्पर्धी प्रकृति की होने के कारण, उम्मीदवार संगठन के चिकित्सा अधिकारी को पूरी तरह से संतुष्ट करने का वचन देता है कि एक लेखक के उपयोग की आवश्यकता थी।
  - 6 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि परीक्षा में एकाधिक हाजिरी/उपस्थिति की अनुमति नहीं है, उम्मीदवारों को यह बताना होगा कि वह एक से अधिक बार परीक्षा में उपस्थित नहीं हैं/शामिल हुए हैं और उनके द्वारा व्यवस्थित किया गया लेखक परीक्षा के लिए उम्मीदवार नहीं है। यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपरोक्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो उम्मीदवार और लेखक (स्क्राइब) दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
  - 7 मैं.....(स्क्राइब), इस भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार नहीं हूँ।
  - 8 मैं.....(स्क्राइब), दि ओरिएंटल इंश्योरेंसकंपनी लिमिटेड का सक्रिय कर्मचारी नहीं हूँ।
  - 9 मैं.....(स्क्राइब), उम्मीदवार के समान शैक्षणिक स्ट्रीम से संबंधित नहीं हूँ।
- (विशेषज्ञों के मामले में)
- 10 हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए उपरोक्त सभी कथन हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। हम यह भी समझते हैं कि यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पता चलता है कि हम पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं और/या हमारे द्वारा दी गई जानकारी गलत/झूठी है या हमने कोई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाया है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी आवेदक की लिखित परीक्षा का परिणाम कुछ भी हो, रद्द कर दिया जाएगा। यदि उम्मीदवार की नियुक्ति के बाद भी इनमें से कोई भी कमी पाई जाती है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी। ऐसी परिस्थितियों में, दोनों हस्ताक्षरकर्ता आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

हमारे हस्ताक्षर के तहत दिया गया

स्क्राइब के हस्ताक्षर

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

पंजीकरण संख्या

डाक पता :

अनुक्रमांक

स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता

डाक पता :

मोबाईल.....

मोबाईल.....

स्क्राइब की फोटो

उम्मीदवार की फोटो

निरीक्षक के हस्ताक्षर